इकाई 15 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की समस्याएँ

संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की समस्याएँ

15.3.1 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा

15.3.2 शिक्षा की संवृद्धि के लिए योजनाएँ

15.3.3 शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण समस्याएँ

15.3.4 शैक्षिक विकास के लिए उठाए गए कदम

15.4 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याएँ

15.4.1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा

15.4.2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याएँ

15.4.3 शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए योजनाएँ

15.5 बालिकाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएँ

15.6 सारांश

15.7 अभ्यास कार्य

15.1 प्रस्तावना

भारत में शैक्षिक सुविधा से वंचित विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं की और सामान्यतः सभी जातियों की लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या है। भारत के संविधान में, अलग-अलग राज्यों की कई जातियाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। संविधान की अनुसूचियों में सम्मिलित ये जातियाँ और जनजातियाँ, शिक्षा और अन्य सशक्तीकरण कार्यक्रमों में कुछ विशेष रियायतों की हकदार हैं।

संविधान का अनुच्छेद 46 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत) कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हितों की विशेष, सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार "राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।" सरकार इस अवधि को आगे बढ़ाती रही है और अब प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की तिथि 2005 निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों और सभी लड़कियों के नामांकन (भर्ती), प्रतिधारण (ठहराव) और उपलब्धि संबंधी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य समस्याएँ हैं। इन वर्गों के बच्चों और लड़कियों में प्राथमिक शिक्षा की अभिवृद्धि करने के लिए कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि ने निःशुल्क पुस्तकें, पोशाकें, निःशुल्क शिक्षण-शुल्क जैसी बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की है।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि :

- अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में शिक्षा के कम विकास के विशेष कारणों को बता सकेंगे;
- अनुसूचित जाति के बच्चों में शिक्षा के कम विकास के विशेष कारणों को बता सकेंगे;
- बालिकाओं की शिक्षा में हुए कम विकास के कारणों को पहचान सकेंगे;
- इन कारणों से उत्पन्न होने वाली शैक्षिक समस्याओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- इन समस्याओं को सुधारने के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को समझ और गिन सकेंगे; और
- कार्य-कारण संबंध और संभावित सुधारात्मक उपायों का विश्लेषण कर सकेंगे।

15.3 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की समस्याएँ

आप सुविधा-वंचित व्यक्ति के सामने आने वाली समस्याओं की कल्पना कर सकते हैं। ये हैं :

- यदि वह दूरदराज़ के क्षेत्रों में रह रहा है;
- यदि वह दूसरों द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने वाले समाज/ समुदाय का सदस्य है;
- यदि समाज में जन्म से ही किसी लिंग विशेष के साथ श्रेष्ठता का चिह्न लगा हुआ है; इत्यादि।

प्रश्नों या मुद्दों की बहुत बड़ी सूची है। हम सभी उनमें से कुछ से परिचित हैं। इस खंड की इकाई सं. 13 व 14 में आपने क्रमशः विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधी समस्याओं और विकलांग विद्यार्थियों की समाज-संवेगात्मक समस्याओं का अध्ययन कर लिया है। इन इकाइयों में आपके सामने बच्चों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न सामान्य समस्याओं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशिष्ट समस्याओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया था। अब यह इकाई आपको कुछ वर्गों या जातियों के विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं से परिचित कराएगी। अपने समाज में अब हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में तो लिंग-भेद कम हो रहा है, किंतु ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में आज भी स्थिति पूर्ववत् ही है। यानी इन क्षेत्रों का 'स्त्री समाज' आज भी समाज में बालिकाओं द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं का सामना कर रहा है। इस इकाई में, इन वर्गों के विद्यार्थियों (यानी स्कूल जाने योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं) द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं और उनके शैक्षिक विकास के लिए केंद्र, राज्य और दूसरी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

15.3.1 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा

अनुसूचित जाति के विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में पिछडे रहे हैं। इनमें से अधिकांशतः प्रथम पीढ़ी के बालक अर्थात्, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकने वाले बालक हैं। इन वर्गों में पढ़ने, लिखने व अंकगणित सीखने की परंपरा नहीं है। अधिकतर माता-पिता निरक्षर हैं। कृपया ध्यान दें कि साक्षरता और शिक्षा पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, यद्यपि दोनों ही शब्द आंतरिक रूप से काफी सीमा तक सह संबंधित हैं। मतलब यह है कि यदि अनुसूचित जाति के बच्चे विद्यालय में भर्ती हो भी जाएँ फिर भी उन्हें घर-परिवार में शिक्षा का वातावरण नहीं मिलता, और न ही उन्होंने विद्यालय में जो कुछ पढ़ा है उसे आगे का सहारा ही मिलता है।

गैर अनुसूचित जाति (सामान्य जाति) और अनुसूचित जाति के बीच सामाजिक दूरी भी एक मुख्य कारण है। दोनों के दृष्टिकोण मे सदियों से चली आ रही दूरियाँ आज भी कायम हैं। गैर अनुसूचित जाति के अध्यापकों/ शिक्षकों और अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच भी ऐसी ही दूरी

बनी हुई है। यह परस्पर उदासीनता अनुसूचित जाति के बालकों के विद्यालयों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती।

श्रम विभाजन या व्यवसाय जिनमें ऐसे परिवार पारंपरिक तौर पर लगे हुए थे, जिससे उन्हें विद्यालय में पढ़ने की बुनियादी आवश्यकता नहीं हुई। उनमें से अधिकांश अकुशल व अर्द्ध-कुशल व्यवसायों में लगे हुए थे, जो बिना अंक ज्ञान व साक्षरता के प्रयोग के प्राप्त किए गए थे। उनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक थे, या परंपरागत रूप से प्राप्त दूसरे व्यवसायों में लगे हुए थे। इसलिए उनके घर में शैक्षिक वातावरण का अभाव, शिक्षा के प्रति उनके नकारात्मक दृष्टिकोण या अलगाववादी दृष्टिकोण का मुख्य कारण भी था। अनुसूचित जाति की लड़कियों का मामला शिक्षा के प्रसंग में और भी कठिन था क्योंकि इस जाति की औरतें घरेलू कार्य, चाकरी या मज़दूरी आदि के कार्य तक ही सीमित रहती थीं।

वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा विकास के सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आप जानते होंगे कि साक्षरता किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर का अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब यह भी सुस्थापित तथ्य है कि शिक्षा और विकास आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

शिक्षा-तंत्र में लाए गए अनुसूचित जाति के बच्चों की उपलब्धि सामान्यतः उनके समपक्ष बालकों की तुलना में कम होती है। क्या आपको इसके कारणों का पता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे प्रथम पीढ़ी के सीखन वाले (छात्र) हैं। दूसरा कारण है - दूसरे वर्गों की तुलना में वे अध्ययन के लिए कम समय देते हैं। ऐसा मुख्यतः घर के वातावरण के कारण है। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी अनुसूचित जाति के अधिकांश बच्चे जीवन यापन को लिए पैसा कमाने वाले धंधों में लगे हुए हैं।

क्रियाकलाप

1) ये क्रियाकलाप केवल सुझावात्मक हैं। आप ऐसी क्रियाएँ चुन सकते हैं, जिन्हें विद्यालय में आसानी से पूरा किया जा सके।

   i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए कोई विधि विकसित करें।

   ii) आपके विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करो।

   iii) शिक्षा के किसी विशेष स्तर के विद्यार्थियों के लिए उस स्तर पर अपेक्षित दक्षताओं के मूल्यांकन के लिए एक उपलब्धि परीक्षण तैयार कर उसे लागू करें।

   iv) फिर तैयार किए गए परीक्षण पर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति (सामान्य जाति) के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त मध्यमान अंकों का विश्लेषण करें और उसके परिणामों की तुलना करें।

   v) सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों से अपने परिणामों की तुलना करें।

   vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अधिगम अपर्याप्तताओं (कमियों) को दूर करने के लिए सुधारात्मक शिक्षण-अधिगम कार्यनीति तैयार करें।

15.3.2 शिक्षा की संवृद्धि के लिए योजनाएँ

इस प्रयोजन के लिए कई केंद्र प्रायोजित योजनाएँ उपलब्ध हैं :

i) **निःशुल्क शिक्षा** : अनुसूचित जाति के बालकों की संपूर्ण शिक्षा यानी आरंभ से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा शुल्क से मुक्त है।

ii) **मुफ्त पाठ्य पुस्तकें आदि :** प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री मुफ्त दी जाती है।

iii) **दोपहर का मुफ्त भोजन :** नई योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को निःशुल्क 'दोपहर का भोजन' कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सभी बच्चों में अनुसूचित जाति के बच्चे भी शामिल हैं।

iv) **मुफ्त पोशाकें :** प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों को 2 जोड़ी पोशाकें मुफ्त देने की योजना है।

v) **छात्र-वृत्ति :** अनुसूचित जाति के बालकों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग मात्रा में छात्र-वृत्ति का प्रावधान है।

15.3.3 शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण समस्याएँ

i) वर्तमान में शिक्षा की जो विषयवस्तु निर्धारित है, वह अनुसूचित जाति के बालकों के अनुभवों से और खास तौर पर उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाती। अधिकांश विषयवस्तु शहरी अनुभवों पर आधारित है, इसलिए अनुसूचित जाति का बालक अपने 'परिचित स्तर' से उसका संबंध जोड़ने में कठिनाई का अनुभव करता है।

ii) अधिकांश मामलों में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 'गृह अध्ययन' या 'गृह-कार्य' वाला तरीका ठीक प्रकार से लागू नहीं होता क्योंकि ऐसे तरीकों के लिए परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है जो अनुसूचित जाति के बालकों को प्रायः उपलब्ध नहीं होता है।

iii) चूँकि अनुसूचित जाति के अधिकतर बालक आर्थिक नियोजन में, यानी घर की आर्थिक स्थिति के कारण कमाने में लगे रहते हैं अतः उन्हें आवश्यक शैक्षिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। शैक्षिक कार्यों में लगा समय उनके वास्तविक जीवन की दैनिक आर्थिक स्थितियों में समस्या-समाधान के लिए किसी काम का सिद्धनहीं होता।

iv) अनुसूचित जाति की अर्थव्यवस्था 'यहीं और अभी' प्रकृति की है, जबकि शिक्षा को एक लंबी अवधि का मानव संसाधन निवेश माना जाता है, जिसका बाद में आर्थिक प्रतिफल संदिग्ध रहता है।

v) आज की शिक्षा हाथ से कार्य करने की तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, जो कि अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक लोकाचारों के विपरीत है। इसलिए कुछ लोग कभी-कभी आज की शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया बताने लगते हैं जो बालक को अपने सामाजिक वातावरण से काटकर अलग कर देने वाली है।

15.3.4 शैक्षिक विकास के लिए उठाए गए कदम

i) पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री विकास की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने की बात चर्चा में रही है। इसमें सामर्थ्य का आकलन अधिगम के न्यूनतम स्तर को आधार बनाकर किया जाता है, साथ ही पाठ्य सामग्री निर्माण में विषयवस्तु को और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की विषयवस्तु को विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलेपन से ढालने की बात की जाती है।

बताइए, आपकी दृष्टि में इसका आशय क्या है? आशय यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ निदानात्मक और उपचारात्मक उपागम के द्वारा विद्यार्थियों की मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा और प्रमाण-पत्र देने को विकेंद्रित करना होगा।

ii) 'गृह-कार्य' देने की आवश्यकता नहीं है। इसका आशय यह है कि विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इतनी व्यापक होनी चाहिए विद्यार्थी को अध्यापक की सहायता से कठिनाइयों का अभ्यास करने एवं उनका निराकरण करने का पर्याप्त अवसर और समय

मिल सके। इस नई प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कोई-न-कोई निश्चित कार्य-योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

iii) शिक्षण-सामग्री और शिक्षण-अधिगम कार्य-योजनाओं को पुनः निर्मित करना होगा, ताकि उन्हें बच्चे द्वारा अनुभव की जा रही जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके और इस तरह से नवरचित शिक्षण-सामग्री स्वतः ही समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सके।

iv) शैक्षिक प्रक्रियाओं की संरचना ऐसी बनानी होगी ताकि बालक को उनसे तत्काल कुछ आर्थिक लाभ मिल सके। इस संदर्भ में बुनियादी शिक्षा और कार्यानुभव विशेष महत्व के व प्रासंगिक हैं। इस नव संरचित शैक्षिक-प्रक्रिया के दूरगामी परिणाम होंगे व उत्पाद के विपणन (Marketing) की समस्याएँ हल हो जाएँगी। यह शैक्षिक उपागम केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ही न हो बल्कि गैर अनुसूचित जाति (सामान्य जाति) के सभी बालकों के लिए भी हो। सामान्य जाति के अभिभावक इसके विपक्ष में अधिक मुखर हुए और इस कार्य-योजना का उन्होंने विरोध किया। शायद इसी कारण, कोठारी कमीशन की सिफारिशों के बावजूद अभी तक इसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई है।

v) शिक्षा संभ्रांत वर्ग की वस्तु मानी जाती रही है। अब शिक्षा के इस चरित्र को बदलना होगा। इस संबंध में बदलाव लाने के लिए सबको मिल कर काम करना होगा। इस नई नीति के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका दिशा-निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (86) और उसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य नीति (92) में उपलब्ध है। तद्नुसार कई राज्यों में न्यूनतम अधिगम स्तरों के प्रकाश में पाठ्य पुस्तक सामग्री का संशोधन किया गया है जो इस दिशा में पहला कदम है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.), बिहार शिक्षा परियोजना (बी. ई. पी.), उत्तर प्रदेश की 'शिक्षा सभी के लिए' नामक शिक्षा परियोजना (यू. पी. ई. एफ. ए.), आंध्र प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा परियोजना आदि सभी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इन सबका भविष्य में प्रभाव क्या होगा - यह बताना अभी संभव नहीं है क्योकि समुदाय के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में बहुत समय लगता है।

क्रियाकलाप

2) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आपके क्षेत्र में संचालित हो रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं (जैसे - मध्याह्न भोजन, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त पोशाकें, छात्र-वृत्ति आदि) की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उनकी तुलना केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से करें। दोनों के बीच के अंतराल (जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं पर इस समय वास्तव में मिल रही हैं इन दोनों में कितना अन्तराल है इस का पता लगाएँ और यह भी जानने का प्रयत्न करें कि इन प्रोत्साहन योजनाओं की समय पर लागू करने से संबंधित अन्य मुद्दे क्या-क्या हैं।

3) इन योजनाओं का आपके विद्यालय के अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन (भर्ती), प्रतिधारण (ठहराव) और उपलब्धियों पर पड़े प्रभाव का पता लगाएँ।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. आपके क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के कम विकास के तीन कारण बताएँ।

   ....

   ....

   ....

   ....

2. उपर्युक्त कारणों को सुधारने के लिए दो उपाय (अल्पकालीन और व दीर्घकालीन दोनों ही) संक्षेप में सुझाएँ।

   ....

   ....

   ....

   ....

15.4 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याएँ

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, समाज की मुख्य धारा में रह रहे अनुसूचित जातियों की तुलना में अलगाव की विशेषता रखने से पहचाने जाते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर तुलनात्मक दृष्टि से एकांत (दूर-दराज) के स्थानों में रहती आई है और आज भी सघन जंगलों में या अलग बस्तियाँ बसाकर रह रही हैं। इन क्षेत्रों को सामान्यतः 'जनजातीय क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है।

15.4.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा

जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जनजातियाँ निवास करती हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जानते हैं और भारत के संविधान में इसी रूप में अधिसूचित भी है। आदिवासी जनजाति समाज अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों और संस्कृति से शासित है। उनका धर्म प्रायः उनके जातिगत नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति का सामाजिक संगठन अलग-अलग है और वह मुख्य धारा से तो अलग है ही। बहुत सी जनजातियों की अपनी कोई लिपि नहीं है और न ही उनका बोली वर्ग बड़ा है। उनकी अपनी बोलचाल की भाषा होती है जिसे वे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं।

अधिकतर जनजातियों की अर्थव्यवस्था मात्र अपने भरण-पोषण तक ही सीमित है। वे जो कुछ पैदा करते हैं वह प्रायः उनकी पूरे वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। उनमें से कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल के उत्पाद, जैसे कंद, जड़ें और पत्तियों पर निर्भर रहते हैं।

जनजाति समाजों में अलग-अलग नाम से जाने वाले कुछ संगठन थे जो छोटे बच्चों को समाजोपयोगी और उत्पादक कार्य करने वाले 'नागरिक' के रूप में अपने पूर्वजों का स्थान ले सकें, इसके लिए तैयार करते थे। यदि इसी को 'शिक्षा' मान लें तो कह सकते हैं कि उनके शैक्षिक संगठन भी हो। लेकिन ये सभी साक्षरता के कौशल से अछूते थे, क्योंकि इनकी बोलियों के लिए कोई लिपि नहीं थी। चूँकि इनमें लिखने का कौशल विकसित नहीं हुआ था, इसलिए कह सकते हैं कि उनमें पठन कौशल का भी अभाव था। पर उनकी यह स्थिति क्यों थी?

ये समाज संकुचित सघन समूहों में रहते थे। उनके बीच संप्रेषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, बोलचाल की भाषा से होती थी। उनकी मौखिक परंपराएँ समृद्ध थीं, जहाँ विरासत और ज्ञान एक

पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोककथाओं, लोकगीतों, पहेलियों इत्यादि द्वारा अंतरित होता था। इस प्रकार उनमें शिक्षा के मुख्य कार्यों की उपलब्धि हो जाती थी। इस स्थिति की तुलना वेदों के लिखित रूप में आने से पहले के यानी पूर्व वैदिक काल (लगभग 4000 ई.पू. से 2000 ई.पू. तक) के हिंदू समाज से तुलना करें। यह पृष्ठभूमि है जिसमें आधुनिक अर्थ में शिक्षा को, जहाँ '3 R' आवश्यक हैं, देखा जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि से अधिकतर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

15.4.2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याएँ

- बच्चे की मातृभाषा और शिक्षण के माध्यम की समस्या।
- आधुनिक विकास की प्रक्रिया के दौरान आदिवासी/ जनजाति का बालक माता-पिता की देखरेख में बढ़ते हैं और समाजीकरण करते समय अपनी मातृभाषा (यानी जन बोली) की छत्र-छाया में पलता और बड़ा होता है। इसलिए उसकी भाषा और शब्दावली तो जनजातीय बोली वाली ही होती है किंतु जब वह स्कूल जाता है तब पाठ्यपुस्तक की भाषा और शब्दावली तथा शिक्षक द्वारा बोली जाने वाली भाषा आदि सभी बातें उसके लिए बोधगम्य नहीं होतीं। परिणामस्वरूप वह बालक अपने आपको घबराहटपूर्ण और दमघुटाऊ वातावरण के बीच में पाता है और अवसर मिलते ही अतिशीघ्र विद्यालय को छोड़ देता है।

- इस परिस्थिति का कटु अनुभव करते हुए भारत सरकार ने नीति-निदेश जारी किए कि बालक की कम-से-कम प्रारंभिक दो वर्षों की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृ बोली ही होगी और क्षेत्रीय लिपि में लिखी हुई पाठ्यपुस्तकें ही काम में आएँगी। बाद में तीसरे वर्ष से आगे क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का माध्यम होगी। इस नीति से कुछ और समस्याएँ पैदा हो गईं। ये समस्याएँ हैं : (i) जितनी जनजातियों की बोलियाँ हैं उनमें प्रारंभिक पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं क्योंकि उनमें से कुछ जनजातियाँ तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही छोटी हैं। (ii) विद्यालयों के सभी शिक्षक स्थानीय बोलियों के जानकार और क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषज्ञता प्राप्त योग्य अध्यापक नहीं होते।
- हर जनजातीय समाज का अपना-अपना सीखने का तरीका होता है। उनमें से अधिकतर तो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। विद्यालयों में प्रचलित अधिगम शैली प्रायः निदेशात्मक या सुझावात्मक होती हैं; जैसे : ऐसा करो, ऐसा न करो इत्यादि। विद्यालयों की यह शैली उन्हें रास नहीं आती क्योंकि यह उनके मनोविज्ञान के विपरीत होती है। इसलिए उन्हें अधिगम में बड़ी कठिनाई होती है।
- कोई जनजाति अपने बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देती या उनका उपहास नहीं करती। किंतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय दंड, उपहास या पुरस्कार प्रणाली का अनुसरण करते हैं। किसी जनजाति के बच्चे को जैसे ही सजा मिलती है, वह विद्यालय छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता भी उसके अनियत व्यवहार पर उसे सज़ा नहीं देते। उनके यहाँ समाजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया बड़ों की नकल पर आधारित है। जो बड़े करते हैं, वह सही है और छोटे उसका अनुसरण तथा अनुकरण करते हैं।

- जनजातियाँ सघन जंगलों में यानी प्रकृति की गोद में निवास करती हैं। जनजातीय बालक की संपूर्ण अधिगम-प्रक्रिया में प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे विद्यालय मूलतः चारदीवारी वाले भवन के रूप में बने होते हैं। जनजातीय बालक लंबे समय तक उस चार दीवारी में बंद नहीं रह सकता। अतः विद्यालय को चारदीवारी से बाहर निकालना एक बड़ी समस्या है। साथ ही शिक्षा की पाठ्यवस्तु को जनजातीय छात्रों के अनुदेशन की दृष्टि से पुनः परिभाषित करना होगा। यानी उसे अनुदेश आधारित के स्थान पर अनुभव आधारित बनाना होगा। इसका प्रभाव मूल्यांकन और परीक्षा पद्धतियों पर भी पड़ेगा। अधिगम की जनजातीय विशेषता (यानी आनुभविक अधिगम) वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से अधिक मेल खाती है।

- मुख्यधारा वाले समाजों की तुलना में जनजातीय समाजों की मूल्य व्यवस्था प्रायः पूरी तरह से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, कुछ जनजातियाँ मातृवंशागत और मातृसत्तात्मक हैं। अर्थात् परिवार की संपत्ति माँ से पुत्रियों को जाती है, औरत आदमी से विवाह करती है और आदमी रहने के लिए उसकी पत्नी के निवास पर जाता है (जैसे : गारों और खासी जनजातियों में कुछ जनजातियों में) कुछ जनजातियों में बहुपतिप्रथा प्रचलित है जिनमें औरत एक से अधिक आदमियों से (सामान्यतः भाइयों से) विवाह करती है, और बच्चे सबसे बड़े भाई के जाने जाते हैं। (जैसे : जौनसार, बावर, टोडा, थारु आदि में)। अधिकतर जनजातियाँ उसी जाति के एक या एक से अधिक पुरुषों से विवाह पूर्व यौन संबंधों को स्वीकार करती हैं किंतु विवाहेतर संबंधों की अनुमति नहीं देतीं। चूँकि मुख्यधारा के समाजों के ही मूल्य पाठ्यवस्तु और दृष्टिकोण निर्माण के मुख्य आधार बने होते हैं इसलिए इनमें जनजातीय जीवन को प्रायः उपहास की दृष्टि से देखा जाता है। जब ऐसी पाठ्यवस्तु जनजातीय बालकों को पढ़ने के लिए दी जाती है तो उन जनजातियों में ऐसी शिक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, बहुधा गैरजनजातीय अध्यापक वर्ग अपने मूल्यों को जनजातीय बालकों पर थोपने की भी कोशिश करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक दूरी तथा शिक्षक और विद्यालय की ओर उदासीनता उत्पन्न होती है। इसलिए अध्यापकों को जनजातीय जीवन के तौर-तरीकों से (क्या करते हैं, क्या नहीं करते) परिचित कराने के लिए उनका अभिमुखीकरण किया जाना अनिवार्य है। यही नहीं, इस दृष्टि से सभी पाठ्यपुस्तकों की तथा दूसरी सहायक सामग्री की पुनः परीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।

- अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा वाले प्रकरण में गिनाई गईं बहुत सी समस्याएँ जैसे प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले, परिवार के सहयोग की कमी आदि-आदि, अनुसूचित जनजाति के बालकों के मामले में भी लागू होती हैं। आप उस भाग का पुनः अध्ययन कर लें और जाँच कर लें कि उनमें से कौन-कौन सी समस्याएँ जनजातियों पर भी सामान्य रूप से लागू होती हैं।

क्रियाकलाप

4) किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ जनजातीय विद्यार्थियों की पहचान कर उनसे बातचीत करें। फिर उस जनजाति विशेष की शैक्षिक समस्याओं की सूची तैयार करें।

15.4.3 शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए योजनाएँ

अनुसूचित जाति वर्ग के बालकों की शिक्षा की अभिवृद्धि की योजनाओं की भाँति जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएँ उपलब्ध हैं। पूर्व में वर्णित योजनाएँ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर भी लागू होती हैं। इनके बावजूद भी कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं :

- **जनजातीय बोलियों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करना**

  भारत सरकार की नीति के अनुरूप जनजातीय बोलियों में भी पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निश्चय किया गया है - पहले एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली जनजातियों के लिए

पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी.और मुख्य रूप से दूसरे अभिकरण जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल) मैसूर, और राज्य सरकारें, संथाली, गौंडी, ह्लु, हो, कुरुख, मुंडारी, खरिया आदि बहुत सी बोलियों में पाठ्यसामग्री तैयार कर रहें हैं।

- **अध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए जनजातीय जीवन और संस्कृति संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम**

एन. सी. ई. आर. टी. अध्यापक-प्रशिक्षकों को जनजातीय जीवन और संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अभिमुखीकरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त गैर-जनजातीय अध्यापक भी इस सुविधा से लाभ उठाने के पात्र हैं।

- **जनजातीय रीति-रिवाजों/ जनजातीय नायकों आदि पर सहायक पुस्तकें**

एन. सी. ई. आर. टी. ने जनजातीय जीवन संस्कृति, मूल्यों व नायकों के बारे में अनुसूचित जनजातीय और सामान्य बच्चों में अच्छी समझ विकसित करने के लिए हिंदी में लिखी हुई सहायक पुस्तकें तैयार की हैं। गौंडी बोली की लोककथाओं, लोकगीतों का संग्रह भी एन सी ई आर टी द्वारा प्रकाशित किया गया है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

3. क) जनजातीय शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें।

....

....

....

....

ख) जनजातीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध तीन योजनाओं की सूची बनाएँ।

....

....

....

....

ग) जनजातीय बच्चों में नामांकन (भर्ती), अभिधारण (ठहराव) और उपलब्धि बढ़ाने के लिए अपनाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का सुझाव दीजिए।

....

....

....

....

15.5 बालिकाओं की शिक्षा संबधी समस्याएँ

यदि आप लड़कियों की शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि इनकी शिक्षा की दुरवस्था के मुख्य कारक सामाजिक मानदण्ड या पारंपरिक दृष्टिकोण में निहित हैं। उदाहरण के लिए प्रायः यह कहा जाता है कि "लड़की को घर सँभालना है, इसलिए उनके लिए उच्च शिक्षा ज़रूरी नहीं है।"

इसका विश्लेषण करें तो आपको पता लगेगा कि इसकी जड़ें, श्रम-विभाजन में निहित हैं। लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के खिलाफ दिए जाने वाले सभी तर्कों की जड़ें श्रम-विभाजन में खोजी जा सकती हैं।

अब इन तर्कों का खंडन करने के लिए हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। स्त्री का दायरा केवल घर तक ही सीमित है। ऐसी घिसी-पिटी उक्तियों (बिना ठोस तर्क के, केवल जन-साधारण के विश्वास पर आधारित) की बुनियाद पर यदि कुठाराघात किया जाए तो शायद ऐसे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सकता है।

लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता या नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे दूसरा मूल कारण इस उक्ति में छिपा है कि 'स्त्री जाति नैसर्गिक रूप से ही कमज़ोर होती है।' इस प्रकार की उक्ति

से लड़कियों के बारे में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और माना जाता है कि उन्हें गाँव से दूर स्कूल में नहीं भेजा जा सकता, जब कि लड़कों को तो भेजा जा सकता है। जो गाँव की लड़की खेतों में काम करती है, घर के कार्य निबटाती है, गोबर के उपले पाथती है और जानवरों को चराने ले जाती है, उसमें उसी आयु के लड़कों की तुलनां में अधिक शारीरिक शक्ति होती है। तब ऐसे स्त्री-वर्ग पर कोई कैसे कमज़ोर होने का ठप्पा लगा सकता है?

यदि आप लड़कियों में शिक्षा के निम्न विकास के किसी भी सामाजिक कारण का विश्लेषण करें तो आप पाएँगे कि सभी कारणों की जड़ें इन दो रूढ़िवादी उक्तियों की तलभूमि में ही छिपी हुई हैं। आप किसी भी कसौटी पर इन दोनों रूढ़ उक्तियों को कसें तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही उक्तियाँ सर्वथा सही नहीं हैं। तब स्त्री-शिक्षा में बाधक कारणों पर जन-समर्थन द्वारा और ईमानदारी से किए गए प्रयासों द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है, और इस तरह से लड़कियों की शिक्षा का उन्नयन किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही तरह बालिका-शिक्षा की संबंधी पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सामग्री में भी संशोधन अपेक्षित हैं। स्त्री-पुरुष का भेद दूर करने के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सामग्री की पुनः जांच करनी होगी और खासतौर से इन्हें लड़कियों की अधिगम शैली के अनुरूप बनाना होगा। पुनः परीक्षण करते समय प्रासंगिकता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। एन.सी.ई.आर.टी. इस उद्देश्य से पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सामग्री की संवीक्षा करवा रही है।

अभिप्रेरणा देना बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, महिला-अध्यापकों (अध्यापिकाओं) की नियुक्ति करना, आदि कुछ ऐसी भावी योजनाएँ और कार्यक्रम हैं जो खासतौर से बालिकाओं को विद्यालयों में भर्ती होने और वहाँ टिके रहने के लिए आकर्षित करेंगी।

काफी समय से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों (डी.पी.ई.पी.) में भी पाठ्यचर्या का पुनःसमायोजन कर और अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान कर प्राथमिक पाठशालाओं में बालिकाओं की नामांकन वृद्धि और ठहराव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओ.बी.) में भी प्राथमिक पाठशालाओं में जहाँ 2 (पुरुष) अध्यापक हैं, वहाँ कम-से-कम एक (महिला) अध्यापिका की नियुक्ति पर बल दिया गया है। वास्तव में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी प्राथमिक पाठशालाओं में जितना अधिक-से-अधिक संभव हो, महिला अध्यापिका होनी चाहिए। इसके पीछे यह शैक्षिक कारण यह बताया गया है कि उनमें जन्मजात प्रेम और लगाव होता है, इसलिए वे शिक्षा के दौरान बच्चों से प्रेमपूर्वक अच्छा व्यवहार करेंगी।

गैर-आपैचारिक शिक्षा और वैकल्पिक स्कूलन (एन.एफ.ई.और ए.एस.) कार्य योजनाओं द्वारा भी विद्यालय से बाहर के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान में रहे कि इन कार्य-योजनाओं से लाभ उठाने वाले बालकों में सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालकों की और सभी सामान्य जातियों की बालिकाओं की है। दूसरे शब्दों में, कुछ हद तक एन.एफ.ई.और ए.एस.वाली कार्य-योजनाओं में जनसंख्या के ऐसे वर्गों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य पर बल दिया जा रहा है जो अब तक शिक्षा स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

4. विद्यालयों में बालिकाओं के निम्न नामांकन और ठहराव के दो मुख्य कारण लिखें।

....

....

....

....

5. विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या में सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।

....

....

....

....

15.6 सारांश

इस इकाई में समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के सुविधा-वंचित विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुविधा-वंचित विद्यार्थियों की समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। बालिकाओं की सामान्य समस्याओं और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों की बालिकाओं की विशिष्ट समस्याओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को भी यहाँ सूचीबद्ध किया गया है।

15.7 अभ्यास कार्य

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं का सर्वेक्षण करें। विद्यालयों में या अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों में इनकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाएँ। कारणों का विश्लेषण करें और मूल कारणों का पता लगाएँ। लगभग एक हजार शब्दों में इसका प्रतिवेदन लिखें।

2. आप द्वारा पढ़ाए जा रहे किसी विषय की किसी एक पाठ्यपुस्तक की जाँच करें और उन भागों को चिह्नित करें जिनमें लैंगिक पक्षपात (स्त्री-पुरुष वाला भेद) दृष्टिगोचर हो रहा हो। इससे संबंधित भी एक प्रतिवेदन तैयार करें।

3. अपने विद्यालय में लड़कियों का नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों की सूची बनाएँ।